

श्री ५ को सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालयको सूचना

श्री ५ को सरकारले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०४३ को दफा ३ को उपदफा (५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही आदेशको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा देहायबमोजिमको सदस्यहरू रहने गरी थपघट तथा हेरफेर गरेको छ।

- | | |
|--|----------------|
| (क) अञ्चलाधीश, गण्डकी अञ्चल | - अध्यक्ष |
| (ख) क्षेत्रीय निर्देशक, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय | - उपाध्यक्ष |
| (ग) निर्देशक, इन्टरनेशनल नेपाल फेलोशीप | - सह-उपाध्यक्ष |
| (घ) सभापति, कास्की जिल्ला पञ्चायत | - सदस्य |
| (ङ) प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कास्की जिल्ला | - सदस्य |
| (च) श्री ५ को सरकारद्वारा विशेषज्ञ डाक्टरहरूमध्येबाट मनोनीत दुई जना | - सदस्य |
| (छ) प्रधानपञ्च, पोखरा नगर पञ्चायत | - सदस्य |
| (ज) वरिष्ठ प्रशामक, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल | - सदस्य |
| (झ) वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सक, इन्टरनेशनल नेपाल फेलोशीप (आई.एन.एफ.) | - सदस्य |
| (ञ) मेट्रोन, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल | - सदस्य |
| (ट) मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल | - सदस्य-सचिव |

आज्ञाले,

वासुदेव प्रधान

श्री ५ को सरकारको का.मु. सचिव

(४)

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।